ग्राम पंचायत दौलतपुर, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत दौलतपुर, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री दिलबर सिंह	01-04-21 से 31-03-23

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अशोक कुमार	01-04-21 से 25-09-21
2.	श्री सुनील कुमार	26-09-21 से 31-03-23

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत दौलतपुर के अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	17.80
2.	6	प्रिया सॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में अंतर	0.20
3.	7	गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.59
4.	8	विवाह पंजीकरण शुल्क को बैंक में जमा न करने बारे	0.01
5.	10	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राजकीय राजस्व की सम्भावित हानि	0.39
6.	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	0.20
7.	12	क्रय किये गये सामान का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना	6.15

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी, जो अत्यंत चिंताजनक है। अतः ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाये ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित दर्शायी गई है :-

1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "04/2019 से 03/2021" तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरांत
2	पैरा 4 (4.1)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित
3	पैरा 5.1	अनिर्णीत	
4	पैरा 5.2	अनिर्णीत	
5	पैरा 6	अनिर्णीत	
6	पैरा 7	अनिर्णीत	
7	पैरा 8	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित
8	पैरा 9	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित
9	पैरा 10	अनिर्णीत	
10	पैरा 11	अनिर्णीत	
11	पैरा 12	अनिर्णीत	
12	पैरा 13	अनिर्णीत	
13	पैरा 14	अनिर्णीत	
14	पैरा 15	अनिर्णीत	
15	पैरा 16	अनिर्णीत	
16	पैरा 17	अनिर्णीत	
17	पैरा 18	अनिर्णीत	

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत दौलतपुर, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2021 से 31/03 /2023" तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 06-03-2024 से 18-03-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय दौलतपुर में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	12/21	07/21
2022-23	04/22	09/22

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत दौलतपुर, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹5,600**/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 206 दिनांक 18.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दौलतपुर से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत दौलतपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्वः स्त्रोतः- ग्राम पंचायत दौलतपुर के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक स्वः स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	58309.34	141992.00	200301.34	85159.00	115142.34
2022-23	115142.34	10524.00	125666.34	44720.00	80946.34

{ख} अनुदानः- ग्राम पंचायत दौलतपुर के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	1152717.00	6258022.71	7410739.71	5369009.00	2041730.71
2022-23	2041730.71	5991415.80	8033146.51	6252656.30	1780490.21

{ग} दिनांक 31.03.23 को बैंक में जमा राशि का विवरण :-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1.	General	UBI DAULATPUR	498102010000037	80946.34
2.	15TH FC	UBI DAULATPUR	498102010011651	1490404.00
3.	VKVNY	UBI DAULATPUR	498102010008145	10596.00
4.	5TH FC	UBI	498102010008149	278276.21

		DAULATPUR		
5.	5TH FC	KCCB KANGRA	20033041621	1214.00
	हस्तगत रोकड़			0.00
कुल योग				**1861436.55**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-23 को बैंक अनुसार अन्त शेष	1861436.55
दिनांक 31-03-23 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	1861436.55
अंतर	**0.00**

4.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को तैयार न करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी –कितनी राशि प्राप्त हुई व किस– किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ था।

अत: वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

5. अनुदान राशि ₹17.80 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायतों द्वारा अनुदानों से सबंधित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-23 तक अनुदान राशि ₹1780490.21 उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 204(1) दिनांक 18.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दौलतपुर से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP DAULATPUR/04/2024 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्ति हो चुकी है उनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके, उक्त राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतू व्यय करना सुनिश्चित किया जाये |

6. प्रिया सॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में ₹0.20 लाख का अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E- Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है, जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि. प्र. कर रहा है | इस योजना के क्रियान्वयन के साथ – साथ हि. प्र. पंचायती राज (समान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अंतर्गत e-panchayt में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा प्रिया सॉफ्ट (computerised) दोनों माध्यम से किया जा रहा तथा जो लेखे Priya Soft में बनाये जा रहें हैं, वे बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही खातों से मिलान नहीं खाते । परिणामस्वरूप ₹20309.50 का अंतर पाया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(क) चयनित माह के दौरान प्रियासॉफ्ट में दर्ज मासिक प्राप्ति /व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही के अनुसार मासिक प्राप्ति /व्यय में अंतर (except manrega)

क्रम स.	माह	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	07/21	77989.00	11989.00	66000.00	330508.00	330508.00	0.00
2	12/21	108167.71	108167.71	0.00	20546.00	20546.00	0.00
3	04/22	140529.00	140529.00	0.00	97671.00	39605.00	58066.00
4	09/22	27400.00	27400.00	0.00	33541.00	33375.00	166.00

(ख) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक प्राप्ति /व्यय में अंतर (Except MNREGA)

क्रम सं	वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	2021-22	1872491.71	1872173.71	318.00	959679.00	929135.00	30544.00
2	2022-23	2082234.50	2082234.50	0.00	2435726.50	2377671.00	58055.50

(ग) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए बैंक शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (Except MNREGA)

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष	बैंक पासबुक के अनुसार शेष+(CASH IN HAND)	अंतर
2022-23	1880844.05 + 902 (Cash in Hand) = 1881746.05	1861436.55	20309.50

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 204(3) दिनांक 18.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP DAULATPUR/04/2024 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.59 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021-22 व वर्ष 2022-23 के दौरान ₹100 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹58600 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.23 को शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** व नीचे तालिका में दिया गया है:-

सम्पति कर:-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर (₹)	आ. शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2021-22	782	100	43000	78200	121200	137600	-16400
2022-23	782	100	-16400	78200	61800	3200	58600

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता लगाया जा सके।

अत: गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 204(2) दिनांक18.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP DAULATPUR/04/2024 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (Outstanding) रहा, स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र नियमित वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹1400 को बैंक में जमा न करने बारे :-

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु 200(सामान्य) व आई . आर. डी. पी./बी.पीएल.के लिए 25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90 दिनों के भीतर 400 (सामान्य) से व 50 आई. आर. डी. पी./बी.पीएल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 04/21 से 03/23 के दौरान निम्नलिखित आवेदकों का विवाह पंजीकरण किया गया था परन्तु इनसे विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त नहीं किया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार से है:-

क्रम संख्या	विवाह पंजीकरण रजिस्टर के अनुसार पेज संख्या	आवेदक का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि
1.	10	सुधीर कुमार पुत्र	07.05.2021	20.05.2021	200

		श्री मोहिन्दर सिंह			
2.	10	सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रितम चन्द	24.05.2021	29.05.2021	200
3.	10	भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री शेर सिंह	26.04.2021	29.05.2021	400
4.	10	मंजीत सिंह पुत्र श्री मिलाप चन्द	04.05.2021	04.06.2021	200
5.	11	सुनीत वालिया पुत्र श्री विपन वालिया	27.06.2021	08.07.2021	400
कुल योग					**1400/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 204(5) दिनांक 18.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP DAULATPUR/04/2024 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे:-

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरांत विवाह पंजीकरण अधिनियम

2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)**
1	2021-22	4000.00
2	2022-23	4400.00
	कुल योग	**8400.00**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 204(6) दिनांक 18.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP DAULATPUR/04/2024 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: उपरोक्त निर्देशानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा इसे शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप राशि ₹0.39 लाख के राजकीय राजस्व की सम्भावित हानि:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है

अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार ₹**39011**/- का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है :-

नाम	मात्रा (cum)	फैक्टर	कुल मात्रा	दर (प्रति टन)	राशि (₹)
रेत	15.21	1.62	24.64	60	1478
बजरी	28.81	1.52	43.79	60	2627
रेत	53.30	1.62	86.34	80	6907
बजरी	102.80	1.52	156.25	80	12500
पत्थर	42.95	2.24	96.21	80	7697
कुल योग					**31209**
पेनल्टी 25%					7802
कुल योग					**39011**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 205(7) दिनांक 09.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP DAULATPUR/04/2024 दिनांक 09.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण रॉयल्टी की गणना नहीं की जा सकी, उतर संतोषजनक नहीं है।

अतः ₹39011/- के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस मामले को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायें अन्यथा इसकी वसूली

उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके वस्तुस्थिति व नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.20 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹**20300/-** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्रम संख्या	**वा० संख्या, वर्ष/माह**	**भुगतान की तिथि**	**फर्म का नाम**	**विवरण**	**राशि (₹)**
1.	**43**, दिनांक 02.09.20	06.07.21	मै. एन. एस. एनेर्जिस	मनरेगा बोर्ड	2900
2.	**55**, दिनांक 02.09.20	06.07.21	मै. एन. एस. एनेर्जिस	मनरेगा बोर्ड	2900
3.	**56**, दिनांक 02.09.20	06.07.21	मै. एन. एस. एनेर्जिस	मनरेगा बोर्ड	2900
4.	**57**, दिनांक 02.09.20	06.07.21	मै. एन. एस. एनेर्जिस	मनरेगा बोर्ड	2900

5.	**58**, दिनांक 02.09.20	06.07.21	मै. एन. एस. एनेर्जिस	मनरेगा बोर्ड	2900
6.	**72**, दिनांक 02.09.20	06.07.21	मै. एन. एस. एनेर्जिस	मनरेगा बोर्ड	2900
7.	**73**, दिनांक 02.09.20	06.07.21	मै. एन. एस. एनेर्जिस	मनरेगा बोर्ड	2900
				कुल योग	**20300**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 205(11) दिनांक 18.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP DAULATPUR/04/2024 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

ग्राम पंचायत द्वारा निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही कार्यों को करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाये बिना कृत व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में कार्यों को करने से पूर्व आवश्यक निर्धारित औपचारिकताएं विधिवत पूर्ण करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 क्रय किये गये सामान राशि ₹6.15 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये सामान का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27, व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के दौरान की गई खरीद के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹614850/- के स्टॉक को क्रय उपरांत स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नही किया गया था :-

क्रम संख्या	वा०/बिल संख्या, वर्ष/माह	फर्म का नाम	विवरण	राशि (₹)
1.	**TSC/21-22/P-2**, दिनांक 08.07.21	मै. माँ ज्वाला ट्रेडर्स	Dustbin	15000
2.	**TSC/21-22/P-3**, दिनांक 08.07.21	मै. माँ ज्वाला ट्रेडर्स	Slogan Board	10000
3.	**513** दिनांक 06.07.21	मै. राम कृष्ण	निर्माण सामग्री (रेत बजरी)	74857
4.	**620** दिनांक 06.07.21	मै. राम कृष्ण	निर्माण सामग्री (रेत बजरी)	147108
5.	**621** दिनांक 06.07.21	मै. राम कृष्ण	निर्माण सामग्री (रेत बजरी)	112780
6.	**622** दिनांक 06.07.21	मै. राम कृष्ण	निर्माण सामग्री (रेत बजरी)	102785
7.	**743** दिनांक 06.07.21	मै. वी. के. फ्लावर नर्सरी	प्लांट्स	38560
8.	**3597** दिनांक 06.07.21	मै. वी. के. फ्लावर नर्सरी	प्लांट्स	37920
9.	**3400** दिनांक 06.07.21	मै. वी. के. फ्लावर नर्सरी	प्लांट्स	37920
10.	**3398** दिनांक 06.07.21	मै. वी. के. फ्लावर नर्सरी	प्लांट्स	37920
			कुल योग	**614850**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 205(12) दिनांक 18.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP DAULATPUR/04/2024 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 विविध अनियमितायें

(1) बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के दौरान बिलों का भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है :-

क्र0 स0	वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि (₹)
1.	2021-22	07/21	1298869.00
2.	2022-23	09/22	1085247.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 205(8) दिनांक 18.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP DAULATPUR/04/2024 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

13 (2) बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा"।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 7/21 व 09/22 के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि माह 07/21 व 09/22 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे जो कि उपरोक्त नियमों के विपरीत है|

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 205(9) दिनांक 18.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP DAULATPUR/04/2024 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

13 (3) मापन पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा नमूना जाँच व सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (i) व (ii) के अनुसार ग्राम पंचायत अपने स्तर पर निष्पादित किये जाने वाले संकर्मो की दशा में, तकनीकी सहायक द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण अनिवार्य होगा तथा सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा, तकनीकी सहायक के तीन लाख रूपये तक की लागत के पैमाइश किये गये संकर्मो के दस प्रतिशत पर परीक्षण जांच संचालित करना अपेक्षित है तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है|

अंकेक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई थी, जिसमें से कुछ प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	शीर्ष	स्वीकृत राशि (₹)	माप पुस्तिका व पेज संख्या
1.	निर्माण कार्य सुरक्षा दीवार, भूमि कटाव को रोकने हेतु बाबा दयाल गिरी मन्दिर की जमीन के समीप	मनरेगा	100000	17761/28-29
2.	निर्माण कार्य पक्की नाली जोंडू राम के घर से सुन्नी रोड़	मनरेगा	282000	17761/67-68
3.	निर्माण कार्य चेक डेम, राज कुमार की जमीन डूगियल	मनरेगा	300000	9174/96-97
4.	निर्माण कार्य रास्ता व नाला श्मशान घाट तक	मनरेगा	300000	17761/46-48
5.	निर्माण कार्य एम्बुलेंस रोड़ शिव मन्दिर से धीमान बस्ती	मनरेगा	288000	17761/44-46

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 205(10) दिनांक 18.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP DAULATPUR/04/2024 दिनांक 18.03.2024

द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारणों से अवगत करवाते हुये इन्हें पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

14 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 205(14) दिनांक 18.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP DAULATPUR/04/2024 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अत: वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. स.	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1.	निवेश रजिस्टर	1	12
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	15(1)
3.	सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34
4.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण न करना	25 व 26	72(1) (ए,बी)

15 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया।

16 लघु-आपति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

17 निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

13 JUN 2024
2791 - 2795 का०/हि०

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(2)317/2021—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत दौलतपुर, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

13 JUN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का०/हि०

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT DAULATPUR BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA PINCODE 176001

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2021-22	58309.34	141992.00	200301.34	85159.00	115142.34

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2021 IN CASH BOOK 58309.34

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT DAULATPUR BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA PINCODE 176001

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	115142.34	10524.00	125666.34	44720.00	80946.34

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 115142.34

प्रधान ग्राम पंचायत दौलतपुर • विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा •

हस्ताक्षर
प्रधान

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दौलतपुर
विकास खण्ड कांगड़ा (हि.प्र.)

23

परिशिष्ट ख पैरा 7 के संदर्भ में

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT DAULATPUR BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2021-22	782.00	100	43000.00	78200	121200	137600.00	-16400

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT DAULATPUR BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	782.00	100.00	-16400	78200	61800	3200	58600

प्रधान ग्राम पंचायत दौलतपुर • विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा •

J.A

हस्ताक्षर
दिनांक

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दौलतपुर
विकास खण्ड कांगड़ा (हि.प्र.)

BANK DETAIL OF GP DAULTPUR BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-21

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	UBI DAULATPUR	498102010000037	58258.34
2	15TH FC	UBI DAULATPUR	498102010011651	527650.00
3	VKVNY	UBI DAULATPUR	498102010008145	105289.00
4	5TH FC	UBI DAULATPUR	498102010008149	208694.00
6	SBM/TSC	UBI DAULATPUR	498102010008147	311084.00
	CASH IN HAND			51.00
			TOTAL	1211026.34

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-22				
S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	UBI DAULATPUR	498102010000037	115142.34
2	15TH FC	UBI DAULATPUR	498102010011651	1716465.00
3	VKVNY	UBI DAULATPUR	498102010008145	108456.00
4	5TH FC	UBI DAULATPUR	498102010008149	215882.71
5	5TH FC	KCCB KANGRA	20033041621	927.00
6	SBM/TSC	UBI DAULATPUR	498102010008147	0.00
	CASH IN HAND	0		0.00
			TOTAL	2156873.05

BANK DETAIL OF GP DAULTPUR BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA				
CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23				
S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	UBI DAULATPUR	498102010000037	80946.34
2	15TH FC	UBI DAULATPUR	498102010011651	1490404.00
3	VKVNY	UBI DAULATPUR	498102010008145	10596.00
4	5TH FC	UBI DAULATPUR	498102010008149	278276.21
5	5TH FC	KCCB KANGRA	20033041621	1214.00
6	CASH IN HAND			0.00
			TOTAL	1861436.55

ग्राम पंचायत दौलतपुर, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा

हस्ताक्षर ....

दिनांक ....

पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत दौलतपुर

G.A

25

परिशिष्ट - 1 पैरा 5 के संदर्भ में

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP DAULATPUR BLOCK KANGRA FOR THE YEAR 2021-22

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MGNREGA	0.00	4525033.00	4525033.00	4525033.00	0.00
3	ZP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	208694.00	535595.71	744289.71	527480	216809.71
5	DPO GRANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	MMAGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	105289.00	3167.00	108456.00	0	108456.00
9	SDRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	13TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SBM	311084.00	5412.00	316496.00	316496.00	0.00
12	GRDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	527650.00	1188815.00	1716465.00	0.00	1716465.00
	TOTAL	1152717.00	6258022.71	7410739.71	5369009.00	2041730.71

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP KHOLA BLOCK KANGRA FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MGNREGA	0.00	3919705.30	3919705.30	3919705.30	0.00
3	ZP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	216809.71	345407.5	562217.21	282727	279490.21
5	DPO GRANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0.00	0	0.00	0	0.00
7	MMAGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	108456.00	77140	185596.00	175000	10596.00
9	SDRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	13TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SBM	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00
12	GRDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1716465.00	1649123.00	3365588.00	1875184.00	1490404.00
	TOTAL	2041730.71	5991415.80	8033146.51	6252656.30	1780490.21

GRANT IN AID AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 2041730.71

ग्राम पंचायत दौलतपुर विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा

24

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दौलतपुर
विकास खण्ड कांगड़ा (हि.प्र.)

हस्ताक्षर Dilwar Singh
दिनांक ....

J.A